

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/माध्य/अभिलेख/5930/2017

दिनांक - 03/11/2018

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय :- अभिलेखों को नष्ट होने से सुरक्षित (बचाने) रखने के संबंध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समय-समय पर अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि अभिलेखों के रख रखाव की स्थिति अच्छी नहीं है।

उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त कार्यालयों/विद्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों को अभिलेखों को सुरक्षित रखने के क्रम में निम्न बिन्दु अनुसार आदेशित कर दिशा निर्देश जारी करावें।

01. अभिलेखों को नष्ट होने से बचाने एवं सुरक्षित रखने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
02. अभिलेखों को सूचीबद्ध कर स्टील रैकों में रखने की व्यवस्था करावें।
03. अभिलेख-कक्षों की नियमित रूप से साफ-सफाई की जानी चाहिए।
04. खुले अभिलेखों को बस्तों में बांधकर रखना एवं अभिलेखों की वर्षवार, सूचीबद्ध कर के बस्तों पर लेबल चस्पा किया जाना चाहिए तथा समय-समय पर बस्तों को खोलकर जाँच की जानी चाहिए।
05. अभिलेख कक्ष हवादार एवं पर्याप्त प्रकाशयुक्त होना चाहिए एवं कक्ष में समय-समय पर केमिकल्स, फिनायल का छिड़काव होना चाहिए।

उक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यालयों/विद्यालयों को तुरन्त आदेशित करें।

www.rajteachers.com


(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली राज.

शिविरा/माध्य/साभान्त्र/2272

दिनांक 03/11/2018

प्रेषित समस्त साक्षा प्रधान
रा. उ. मा. विद्यालय/मा. विद्यालय; पाली

05. अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित कार्यालयों/विद्यालयों को तुरन्त आदेशित करें।
मुख्य प्रेषित का लेख है कि आदेश की अज्ञात पालना सुनिश्चित की जाए।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक पाली

IAS

निदेशक